राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांकः शैक्षणिक–द्वितीय/2020/ 36380 दिनांक : 31/08/20

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त संघटक महाविद्यालय
(महाराजा/महारानी/कॉमर्स/राजस्थान महाविद्यालय)

2. शैक्षणिक पी.जी. विभागाध्यक्ष/निदेशक/को–ओडिनेटर (जिनके अधीन सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स चलते हो)।
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय :– प्रवेश सम्बन्धी सूचना की प्रथम सूची दिनांक 01–09–2020 को सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी/आगे की सूचना अपलोड करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रो. विजंय वीर सिंह, कन्वीनर, केन्द्रीय प्रवेश समिति 2020–21 की अध्यक्षता में 'बैंक से सम्बन्धित मुद्दों' पर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. सभी प्राचार्य/प्राचार्यो को अस्थाई रुप से प्रवेशित छात्रों की सूची निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर को निम्नलिखित प्रारुप में (Both Doc/PDF & Excel Formats) मेल भेजेंगे :–

   Name of the College ....

   First List of Provisionally admitted Candidates for session 2020-21

   Name of the Class ....

   Category : General/SC/ST/OBC/EWS/MBC

   Note : The fee will deposit online from 2nd September, 2020 at 10:00 A.M.

   Last date for depositing fees ONLINE is 5th September, 2020 (Saturday) by 11:59 pm on University of Rajasthan website www.uniraj.ac.in

S. No.	SD No.	Form No.	Student Name	Father Name	Cat.	Obtained %	Subject	Fees

CONVENER VICE-PRINCIPAL PRINCIPAL

2. इसी प्रकार जो विद्यार्थी सम्बन्धित कक्षा में अस्थाई रुप से प्रवेश के योग्य तो पाये गये है परन्तु जो जरुरी दस्तावेज उन्हें फार्म के साथ अपलोड करने थे, नहीं किये ऐसे छात्रों की सूची संघटक महाविद्यालय/विभाग निम्न प्रारुप में अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने के लिये इन्फोनेट सेन्टर को भेजेंगे :–

Name of the College ....

List of candidate found provisionally eligible for admission in (Name of the Class) in the academic session 2020-21 provided they submit the required documents mentioned against their names by 5th September, 2020. The document (s) obtained % can be sent by email to concerning College or they should contact on 91-

S. No.	SD No.	Form No.	Student Name	Father Name	Cat.	Obtained %	Documents required

CONVENER VICE-PRINCIPAL PRINCIPAL

3. कई छात्र–छात्राओं ने ओबीसी का सर्टिफिकेट (Non-Creamy layer declaration) पुराना अपलोड किया है। ऐसे छात्रों से नया शपथ–पत्र जो इस पत्र के साथ में संलग्न है महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया हुआ है, भरवाकर उसे सम्बन्धित महाविद्यालय की मेल पर ऑनलाईन मँगवाना सुनिश्चित करें।
4. किसी भी छात्र–छात्रा को फीस ऑनलाईन (डेबिट / क्रेडिट / नेट बैंकिग) के माध्यम से केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत इन्फोनेट सेन्टर द्वारा अधिकृत विश्वविद्यालय के अकाउन्ट (A/c No. 67470170161, ICICI Bank, Bapu Nagar, Jaipur) में ली जायेगी। अगर किसी भी छात्र–छात्रा को फीस के सम्बन्ध में कोई दिक्कत आती है तो वह आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, विश्वविद्यालय कैम्पस, जयपुर के प्रतिनिधि श्री कुलदीप सिंह से सीधे मोबाईल नम्बर पर बात कर सकते है जिनका नम्बर 9116136997 है।
5. प्रत्येक प्रवेशित छात्र–छात्रा को एक :एन्टी रैगिंग का फार्म' व 'Group Insurance Student' का फार्म भरना आवश्यक है। दोनों फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है। सम्बन्धित महाविद्यालयों से निवेदन है कि वे प्रवेशित छात्र–छात्राओं से दोनों फार्म सम्बन्धित महाविद्यालय की मेल पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। Covid-19 के चलते छात्र–छात्रों को महाविद्यालय में न बुलायें। अत्यधिक कठिनाई होने पर मोबाईल नम्बर पर / ई–मेल पर सम्पर्क कर कठिनाई को दूर करना का श्रम करें।

भवदीय

(राजकुमार जैन)
उप–कुलसचिव
(शैक्षणिक द्वितीय)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

क्रमांकः शैक्षणिक–द्वितीय / 2020 / 36381-87 दिनांक : 31/08/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. प्रो. विजय वीर सिंह, कन्वीनर, केन्द्रीय प्रवेश समिति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
4. निदेशक इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. उप–कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
6. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

सहायक कुलसचिव
(शैक्षणिक–द्वितीय)

परिशिष्ट–ढ

शपथ–पत्र / बयान

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या :

मैं ______ पुत्र / पुत्री श्री ______

निवासी ______

गांव / शहर ______ तहसील ______ जिला ______

राजस्थान का / की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि :

(1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य / विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति ______ का / की सदस्य हूं।

(2) मेरे माता / पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग–1, समूह 'ख' वर्ग–2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल / जल / वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं / नहीं थे।

(3) मेरे माता / पिता सरकारी / निजी क्षेत्र में ______ पद पर कार्यरत है / थे।

(4) मेरे माता / पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय ______ रूपये हैं।

(5) मैं उपरोक्त प्रकरणो की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।

(6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(7) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलेयर का हूं / नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदो के लिए विचार किये जाने का पात्र हूं, चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूं कि अभ्यर्थता / नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावें।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)